उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

अधिहरण वाद सं0- 32/2013-14

राज्य–बनाम – 1. पतन महतो, 2. राजू सिंह एवं 3. दुबराज महतो

आदेश

इस वाद की कार्यवाही वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक–712/अप0शा (ग्रा0), दिनांकः–16/06/2013 द्वारा गालुडीह थाना काण्ड सं0–07/13, दिनांकः–16.03.13 में जप्त सामग्रियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 के अन्तर्गत अधिहरण हेतु दिनांक 20/07/2013 को प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6(बी) के तहत कारण पृच्छा नोटिस निर्गत किया गया था।

विपक्षी 1. पतन महतो 2. राजू सिंह, 3. दुबराज महतो द्वारा कारण पृच्छा समर्पित नहीं किया गया है। दिनांक 16.07.14 को एक आवेदन प्रेषित किया गया है। आवेदन की कंडिका 1 से 4 में उल्लेख किया गया है कि " (1) That the petitioner is owner of above mentioned vehicle. (2)That the petitioner vehicle is lying in Galudih P.S. and is open to sun, rain and dust. The vehicle is getting damaged day by day. (3) That the vehicle is a commercial vehicle. It is a hypotheticated vehicle and income from plying the said vehicle is a source of livelihood of the petitioner. (4) That the petitioner undertakes to produce the vehicle in the concerned court and/or before the competent authority if and when required."

वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक–712/अप0शा (ग्रा0), दिनांकः–16/06/2013 द्वारा गालुडीह थाना काण्ड सं0–07/13, दिनांकः–16.03.13 में प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 16/03/12 को गुप्त सूचना के आधार पर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, घाटशिला ने ग्राम–आमचुड़िया, धनुभाष्कर लाईन होटल में पहुँच कर देखा कि जन वितरण प्रणाली का चावल 10 जुट के बोरों में 5 क्विंटल चावल ट्रक सं0–JH05AN-0896 से उतार कर 10 प्लास्टिक बोरो मे भरा जा रहा है एवं ट्रक पर दो जार मे लगभग 40 लीटर अवैध डीजल लदा हुआ है, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, घाटशिला के द्वारा होटल मालिक पतन सिंह एवं गाड़ी चालक राजु सिंह से चावल एवं डीजल का कागजात माँगा गया तो उनके द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया, जिनके कारण उन्हें कब्जे में लेकर गालुडीह थाना को सूचित कर दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष चावल एवं डीजल का जप्ती सूची तैयार कर विधिवत जप्त करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–7 में आवश्यक कारवाई हेतु गालुडीह थाना में प्राथमिकी दायर की गयी।

विपक्षी के द्वारा समर्पित कारण पृच्छा, थाना प्रतिवेदन एवं उसके साथ संलग्न जप्त सूची सम्पूर्ण अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन एवं

विश्लेषण किया। विपक्षी द्वारा अबतक कारण पृच्छा समर्पित नहीं किया गया है, जबकि इस वाद की कार्यवाही दिनांक 20/07/15 को ही ही प्रारम्भ की गयी है। थाना प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि जन वितरण प्रणाली का चावल 10 जुट के बोरों में 5 क्विंटल चावल ट्रक सं0–JH05AN-0896 से उतार कर 10 प्लास्टिक बोरो मे भरा जा रहा है एवं ट्रक पर दो जार मे लगभग 40 लीटर अवैध डीजल बिना किसी वैध कागजात के अवैध रूप से रखा गया था, इससे स्पष्ट है कि विपक्षी उक्त चावल–5 क्विं एवं डीजल–40 लीटर को कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी के नियत में अनाधिकृत रूप से बिक्री हेतु रखा गया था जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–7 3(2)(d) एवं जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के प्रावधानों का उल्लंघन है एवं धारा–7 में दण्डनीय अपराध है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में गालुडीह थाना काण्ड सं0–07/13, दिनांक 16.03.13 में चावल–5 क्विं एवं डीजल–40 लीटर एवं ट्रक सं0–JH05AN-0896 को आवश्यक अधिनियम 1955 की धारा–6(ए) के अंतर्गत अधिग्रहित किया जाता है। आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, घाटशिला, घाटशिला, थाना प्रभारी, गालुडीह को भेजें।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यो में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक 31.05.2016 को पारित किया जा रहा है।

लेखापित एवं संशोधित

31/5/16   31/5/16.

उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।